अध्याय 4

सीपीएसईज में नकद अधिशेष का प्रबंधन

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय भारत सरकार (जीओआई) में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), सीपीएसई में निष्पादन सुधार, वित्तीय लेखाकंन और कार्मिक प्रबंधन पर नीति दिशानिर्देश बनाता है। 31 मार्च 2015 को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 570 सीपीएसईज थीं।

4.1.2 हमने 46[15] सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों और उनकी चार सहायक कम्पनियों के सम्बंध में डाटा का विश्लेषण किया है। 46 सूचीबद्ध सीपीएसईज 31 जुलाई 2015 को बीएसई में सूचीबद्ध सभी कम्पनियों की कुल बाजार सम्पत्ति (₹ 104,79,396 करोड़) का लगभग 12.89 प्रतिशत (₹ 13,50,506 करोड़) दर्शाती है। 31 मार्च 2015 को 46 सूचीबद्ध सीपीएसईज के नकद एवं बैंक अधिशेष (सीबीबी) ₹ 1,62,970 करोड़ था। 46 सूचीबद्ध सीपीएसईज के संबंध में 2014-15 के लिए मुख्य वित्त तालिका 4.1 में दिए गए हैं।

तालिका 4.1: सूचीबद्ध सीपीएसईज के संबंध में 2014-15 के लिए मुख्य वित्त

(₹ करोड़ में)

बाजार पूंजीकरण	आरक्षित निधि	नकद और बैंक शेष	टर्नओवर	कर पूर्व लाभ
13,50,506	6,82,784	1,62,970	15,60,107	1,30,705

4.2 समीक्षा हेतु विषय के चयन का औचित्य

4.2.1 एक प्रभावी नकद प्रबंधन प्रणाली पर्याप्त नकद और नकद समतुल्य की आवश्यकता को शेयर धारकों के लिए धन को अधिकतम करने के लिए आय प्राप्ति से निवेशों में नकद अधिशेष को चेनलाइज करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करेगा। अधिशेष नकद के प्रबंन्धन पर पिछला अध्ययन 31 सीपीएसईज के संबंध में किया गया था जिसमें पांच

[15] चार सूचीबद्ध सीपीएसईज अर्थात (i) इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड (ii) कूदेरमुख आयरन ओर क. लि. (iii) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (विनिर्माण) क.लि. (iv) हिन्दुस्तान केबल्स लि. और एक सहायक सरकारी कम्पनी अर्थात् ईस्टर्न इंवेस्टमेंट लिमिटेड को छोडकर जिनके शेयरों को 2012-15 अध्ययन की अवधि के दौरान ट्रेड नहीं किया गया था।

वर्षों अर्थात 2007 से 2012 की अवधि को कवर किया गया था और लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2013 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 2 में शामिल किया गया था।

4.2.2 सीपीएसईज के उच्च नकद अधिशेषों से निम्नलिखित मामले उत्पन्न हुए। क्या सीपीएसईज अपने शेयरधारकों (मुख्यतः भारत सरकार) को लाभांश की उपयुक्त राशि का भुगतान कर रही है। क्या सीपीएसईज के पास प्रभावी पूंजी व्यय योजनाएं हैं?

4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था किः (क) क्या सीपीएसईज की लाभांश नीति डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है तथा निवेशको ने उनके निवेशों के लिए उचित पारितोषिक प्राप्त किया था; (ख) सीपीएसईज ने नकद अधिशेष तथा बैंक शेषों के उपयोग के लिए योजनाएं बनाई थी; (ग) सीपीएसईज के पास नकद अधिशेष के लिए निवेश नीति है जो सुरक्षा, चल निधि तथा लाभकारिता के विषयों को उपयुक्त रूप से संबोधित करती है।; तथा (घ) निदेशक मंडल तथा मंत्रालय ने उच्च नकद आरक्षित का संज्ञान किया तथा उस पर कार्रवाई प्रारंभ की।

4.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, मानदंड तथा कार्य-प्रणाली

4.4.1 लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा के लिए 46 सूचीबद्ध सीपीएसईज में से 36 सूचीबद्ध सीपीएसईज का चयन किया, जैसा ***परिशिष्ट - VII*** में दिया गया है, जिसका सीबीबी 31 मार्च 2015 तक ₹ 1,000 करोड़ से अधिक था/या 2014-15 के दौरान कुल बिक्री ₹ 1,000 करोड़ से अधिक थी। लेखापरीक्षा ने 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2015 तक तीन वर्षों की अवधि कवर की। जैसा तालिका 4.2 से देखा जा सकता है, 36 सूचीबद्ध सीपीएसईज के पास ₹ 1,62,019 करोड़ का सीबीबी 31 मार्च 2015 तक था जो 46 सूचीबद्ध सीपीएसईज द्वारा रखे गए कुल सीबीबी का 99.42 प्रतिशत बनता है।

तालिका 4.2: लेखापरीक्षा के लिए चयनित 36 सूचीबद्ध सीपीएसईज की वित्तीय विशेषतायें

(₹ करोड़ में)

विवरण	सूचीबद्ध सीपीएसईज की संख्या	31 मार्च 2015 को सीबीबीज
सूचीबद्धी सीपीएसईज की सीबीबी	46	1,62,970
₹ 1000 करोड़ या अधिक की सीबीबीज वाले सूचीबद्ध सीपीएसईज	23	1,60,586

₹ 1000 करोड़* से अधिक की कुल बिक्री वाले सूचीबद्ध सीपीएसईज	13	1,433
लेखापरीक्षा के लिए चयनित सीपीएसईज	36	1,62,019

31 मार्च 2015 को इन 36 सूचीबद्ध सीपीएसईज के प्रमुख वित्तीय (₹ करोड़ में)

बाजार पूंजीकरण	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	सीबीबी	कुल बिक्री	कर से पूर्व लाभ
13,41,238[16]	6,82,772	1,62,019	15,56,223	1,31,150

* ₹ 1,000 करोड़ या अधिक की सीबीबी वाली सीपीएसईज को छोड़कर

4.4.2 लेखापरीक्षा मानदंड में शामिल हैः डीपीई, प्रशासकीय मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से दिशा-निर्देश; कम्पनी अधिनियम के प्रावधान; सीपीएसईज के निर्णय तथा सीबीबी प्रयोग योजनाएँ। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिए सीपीएईज के सुसंगत मानदंड तथा अभिलेखों की जाँच की।

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.5.1 लाभांश भुगतान

4.5.1.1 डीपीई ओ.एम.सं. 15/10/2004- डीपीई (जीएम) दिनांक 18 अक्तूबर 2004 में निर्धारित किया गया कि सभी लाभ कमाने वाली सीपीएसईज को लाभांश भुगतान करना चाहिए (क) पीएटी का 20 प्रतिशत (तेल, पैट्रोलियम, रसायन तथा अन्य अवसंरचना कम्पनियों के मामले में 30 प्रतिशत); या (ख) इक्विटी का 20 प्रतिशत, जो उच्चतर हो। 36 सीपीएसईज में से, 30 सीपीएसईज ने 2012-15 के दौरान ₹ 1,27,078 करोड़ के कुल लाभांश का भुगतान किया। शेयरधारक की सम्पत्ति को बढाने के लक्ष्य द्वारा निर्देशित लाभांश चुकाना या धारण वित्तीय आवश्यकताओं तथा चल निधि स्थिति तथा शेयरधारकों की सामान्य अपेक्षाओं जैसे घटको पर निर्भर करता है। कम्पनी अधिनियम लाभांश के माध्यम से लाभ या आरक्षित निधि के वितरण का अधिकार कम्पनी के निर्देशक मंडल को प्रदान करता है तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित लाभ वितरण की मात्रा बढ़ाई नहीं जा सकती।

4.5.1.2 चार सीपीएसईज़ जैसा कि तालिका 4.3 (क) और 4.3 (ख) में दर्शाया गया है ने 2014-15 के दौरान कर के बाद पर्याप्त लाभ होने के बावजूद डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित न्यूनतम लाभांश का वितरण नहीं किया।

[16] 31 जुलाई 2015 को

तालिका 4.3 (क): सीपीएसई, जिन्होंने वर्तमान वर्ष पीएटी में से पीएटी का 20% या 20% इक्विटी, जो भी अधिक था के न्यूनतम लाभांश का भुगतान नहीं किया

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	अन्त सीबीबी	इक्विटी	इक्विटी का 20%	पीएटी	पीएटी का 20%	भुगतान किया जाना अपेक्षित लाभांश	भुगतान किया गया लाभांश	लाभांश भुगतान में कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) या (6) में से अधिक	(8)	(9)
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,256	465	93	201	40	93	0	93
						4.3(क) का कुल जोड़		**93**

तालिका 4.3 (ख): सीपीएसई, जिन्होंने वर्तमान वर्ष पीएटी में से पीएटी का 30% या 20% इक्विटी, जो भी अधिक था के न्यूनतम लाभांश का भुगतान नहीं किया

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	अन्त सीबीबी	इक्विटी	इक्विटी का 20%	पीएटी	पीएटी का 30%	भुगतान किया जाना अपेक्षित लाभांश	भुगतान किया गया लाभांश	लाभांश भुगतान में कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) या (6) में से अधिक	(8)	(9)
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	2,063	5,232	1,046	4,979	1,494	1,494	1,046	448
गेल (इंडिया) लिमिटेड	1,142	1,268	254	3,039	912	912	761	151
एनटीपीसी लिमिटेड	12,879	8,245	1,649	10,291	3,087	3,087	2,061	1,026
						4.3(ख) का उप-जोड़		**1,625**
डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में लाभांश भुगतान में कुल कमी						**4.3(क) जमा 4.3(ख)**		**1,718**

4.5.1.3 मामले को 2013 की सीएजी की रिपोर्ट संख्या 2 में पैरा 7.2.1 (अध्याय 7 सीपीएसईज द्वारा अधिशेष नकद का प्रबंधन) में पहले भी उठाया गया था कि चूँकि लाभांश का भुगतान सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ में से किया जाना है, इसलिए उन सभी मामलों में, जहां एक विशेष वर्ष के लिये पीएटी की समस्त राशि इक्विटी की 20 प्रतिशत राशि से कम है वहां पीएटी का 20 प्रतिशत या 20 प्रतिशत इक्विटी, जो भी उच्च है के प्रावधान का पालन करना संभव नहीं होगा। इस संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि लाभांश का वित्तीय वर्ष के लिये कंपनी के लाभ में से या पिछले वित्तीय वर्षों के लिए लाभ में से या दोनों में से भुगतान किया जायेगा। तालिका 4.4 (क) और 4.4 (ख) दर्शाती है कि चार

सीपीएसईज़ ने सुसंगत वर्ष में अपर्याप्त पीएटी के कारण डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित न्यूनतम लाभांश का वितरण नहीं किया, यद्यपि उनके पास पर्याप्त मुक्त आरक्षित निधि थी और अपेक्षित न्यूनतम लाभांश के भुगतान के लिये पर्याप्त सीबीबी थी।

(31-3-2015 को ₹ करोड़ में)

तालिका 4.4 (क): पर्याप्त पिछली आरक्षित निधि और सीबीबी होने के बावजूद सीपीईज़ जिन्होंने पीएटी का 20% का या 20% इक्विटी, जो भी अधिक था के न्यूनतम लाभांश का भुगतान नहीं किया

सीपीएसई	वित्तीय वर्ष	अन्त मुक्त आरक्षित निधि[17]	सीबीबी	इक्विटी	इक्विटी का 20 %	पीएटी	पीएटी का 20%	भुगतान किये जाने वाला अपेक्षित लाभांश	लाभांश भुगतान	लाभांश भुगतान में कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) या (8) में से अधिक	(10)	(11)
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	2014-15	1,182	320	463	93	68	14	93	14	79
बीईएमएल लिमिटेड	2014-15	2,022	145	42	8	7	1	8	4	4
								4(क) का उप-जोड़		**83**

तालिका 4 (ख): पर्याप्त पिछली आरक्षित निधि और सीबीबी होने के बावजूद सीपीईज़ जिन्होंनें पीएटी का 30% का और 20% इक्विटी, जो भी अधिक था के न्यूनतम लाभांश का भुगतान नहीं किया

सीपीएसई	वित्तीय वर्ष	अन्त मुक्त आरक्षित निधि	सीबीबी	इक्विटी	इक्विटी का 20 %	पीएटी	पीएटी का 30%	भुगतान किये जाने वाला अपेक्षित लाभांश	लाभांश भुगतान	लाभांश भुगतान में कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) या (8) में से अधिक	(10)	(11)
एनएचपीसी लिमिटेड	2012-13	14,135	5,616	12,301	2,460	2,348	704	2,460	738	1,722
	2013-14	12,068	5,304	11,071	2,214	979	294	2,214	332	1,882
	2014-15	13,867	5,422	11,071	2,214	2,125	638	2,214	664	1,550
								4(ख) का उप जोड़		**5,154**
								डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में लाभांश भुगतान में कुल कमी 4(क) जमा (ख)		**5,237**

[17] अन्त मुक्त आरक्षित निधि में सामान्य आरक्षित निधि, अधिशेष और शेयर प्रीमियम आरक्षित निधि शामिल है।

4.5.2 बोनस शेयर जारी करना

4.5.2.1 सीपीएसईज द्वारा बोनस शेयर जारी करना प्रति शेयर बाजार मूल्य में कमी के माध्यम से स्टॉक बाजार में कंपनी के शेयर के सक्रिय व्यापार को बढावा देने; और अपने व्यापक इक्विटि आधार के प्रयोग के लिये उसकी जारी समर्थता के माध्यम से कम्पनी की वित्तीय क्षमता के बारे में स्टॉक बाजार को मजबूत संकेत के रूप में कार्य करने में सहायता करता है। नवम्बर 2011 में यथा अद्यतित नवम्बर 1995 के डीपीई दिशानिर्देशों[18] में सीपीएसई द्वारा बोनस शेयर जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार:

- सीपीसीईज़ जिनके पास उनकी प्रदत्त पूँजी की तुलना में पर्याप्त अधिक आरक्षित निधि है को आरक्षित निधि को पूँजीकृत करने के लिये बोनस शेयर जारी करने चाहिये;
- सीपीएसईज़ को शेयर बोनस के निर्मुक्त करने को समायोजित करने के लिये अपनी प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिये; और
- प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय को अपने नियंत्रण के अंतर्गत उद्यमों को निर्देश देने चाहिये कि उनकी प्रदत्त पूंजी के तीन गुना से अधिक आरक्षित निधि होने वाले सीपीईसीज़ को बोनस शेयर जारी करने के विषय पर शीघ्र ध्यान देना चाहिये।

4.5.2.2 लेखापरीक्षा ने देखा कि 36 सीपीएसईज़ में से नौ को बोनस शेयर जारी करना अपेक्षित नहीं था क्योंकि उनकी प्रदत्त पूँजी उनकी आरक्षित निधि से तीन गुना से कम थी। 24 सीपीएसईज़ जिनकी प्रदत्त पूँजी आरक्षित निधि अनुपात से 1:3 से अधिक थी ने बोनस शेयर जारी नहीं किया जैसा कि तालिका 4.5 में दिया गया है। तीन सीपीएसईज़ अर्थात बॉल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2012-15 के दौरान बोनस शेयर जारी किये लेकिन उनकी प्रदत्त पूँजी आरक्षित निधि से 1:3 से अधिक रही थी (तालिका 4.6)। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ने ग्यारह सीपीएसईज़ नामत: बामर लॉरी एण्ड क. लिमिटेड भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, कोल इण्डिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन

[18] दिनांक 10 नवम्बर 1995 का डीपीई का.ज्ञा. संख्या डीपीई/12(6)/95 और 25 नवम्बर 2011 का डीपीई का.ज्ञा. संख्या डीपीई/13(21)/1

लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड और ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में बोनस शेयर जारी करने के लिये निर्देश जारी नहीं किये। बीईएमएल लिमिटेड ने मई 2012 में बोर्ड के सैद्धांतिक अनुमोदन के बावजूद बोनस शेयर जारी नहीं किए।

तालिका 4.5: सीपीएसई जिन्होंने बोनस शेयर जारी नहीं किये

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूँजी	मुक्त आरक्षित निधि	आरक्षित निधि के गुणा की संख्या
	31 मार्च 2015 तक		
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
बीईएमएल लिमिटेड	42	2,022	48.14
भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	80	7,756	96.95
भारत हैवी इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	490	33,559	68.49
चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	149	1,506	10.11
कोल इंडिया लिमिटेड	6,316	32,265	5.11
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	168	2,369	14.10
गेल (इंडिया) लिमिटेड	1,268	27,620	21.78
हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	339	15,330	45.22
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,428	62,646	25.80
एमएमटीसी लिमिटेड	100	1,259	12.59
मॉयल लिमिटेड	168	3,214	19.13
नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	1,289	11,508	8.93
नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	120	1,204	10.03
नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,678	12,687	7.56
एनएमडीसी लिमिटेड	396	31,935	80.64
एनटीपीसी लिमिटेड	8,245	69,149	8.38
ऑयल एंड नेचुरूल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,278	1,40,306	32.80
ऑयल इंडिया लिमिटेड	601	20,898	34.77
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,320	17,165	13
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5,232	26,548	5.07
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	552	2,159	3.91
रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	987	13,497	13.67
दि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	466	4,577	9.82
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,131	38,336	9.28

तालिका 4.6: 31 मार्च 2015 को तीन सीपीएसई की प्रदत्त पूँजी और मुक्त आरक्षित निधि, जिनका अनुपात बोनस शेयर जारी करने के बावजूद 1:3 से अधिक रहा था

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूँजी	मुक्त आरक्षित निधि	आरक्षित निधि के गुणा की संख्या
बामर लॉरी एंड कं. लिमिटेड	29	875	30.17
भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	723	21,176	29.29
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	195	7,441	38.16

4.5.2.3 सीपीएसई के प्रबंधन ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा (18 नवम्बर 2015) कि बोर्ड 12 फरवरी 2013 को आयोजित उनकी बैठक में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव के लिये सहमत नहीं हुआ।
- एमएमटीसी लिमिटेड ने कहा (6 नवम्बर 2015) कि व्यय योजना को पूरा करने के लिये अपेक्षित निधि बहिर्गमन को ध्यान में रखते हुये, बोनस शेयर जारी करना संभव नहीं था।
- राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने कहा (13 अक्टूबर 2015) कि बोनस शेयर जारी करने का अर्थ है लाभांश दर से समझौता करना।
- ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहा (30 अक्टूबर 2015) कि बोनस शेयर जारी करने का अर्थ है कि शेयरों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रति शेयर आय कम हो जाती है और बोनस शेयर को लगातार जारी करने से कम्पनी की नवरत्न प्रास्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।
- नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा (13 नवम्बर 2015) कि बोनस शेयर जारी करने का कारोबार विकास के लिये शेयर के 10 प्रतिशत को नया जारी करने में बढ़ोत्तरी के साथ भारत सरकार की 10 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग के विनिवेश के बाद निर्णय लिया जायेगा।

- ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा (9 नवम्बर 2015) कि एमओपीएनजी से बोनस शेयर जारी करने के लिये कोई दिशानिर्देश/निर्देश नहीं हैं।
- नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा (5 नवम्बर 2015) कि बोनस शेयर जारी करने के लिये डीपीई दिशानिर्देशों का 12$^{वीं}$ योजना अवधि के लक्षित निवेश को पूर्ण करने के कारण पालन नहीं किया जा सकता।

4.5.3 शेयरों का पुन: क्रय

4.5.3.1 कम्पनी अपने शेयरों को पुन: क्रय करते हुए अधिशेष नकद को वापस करने का निर्णय ले सकती है जब उसके पास अधिशेष नकद हो और ऐसे अधिशेष नकद के निवेश के लिये सही अवसर नहीं हो। शेयरों के पुन: क्रय पर दिनांक 26 मार्च 2012 के डीपीई का.ज्ञा. संख्या डीपीई/14(24)/2011-वित्त व्यक्त करता है कि:

- सीपीएसईज़ को कम्पनी में निवेशक की निरंतर रूचि के लिये उनके शेयरों को पुन: क्रय करने और बाजार से निधियों को जुटाने के लिये कम्पनी की समर्थता के दीर्घकालिक महत्व में उनके बाजार पूँजीकरण की सुरक्षा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है; और
- यदि ऐसा प्रावधान उनके अंतर्नियमों में मौजूद नहीं हो तो सीपीएसईज़ द्वारा शेयरों के पुन: क्रय करने के लिये अपने संस्था के अंतर्नियमों (एओए) में संशोधन किया जाएगा।

4.5.3.2 लेखापरीक्षा ने देखा कि आठ सीपीएसईज़ के मामले में, प्रबंधन द्वारा शेयर का पुन: क्रय करने के लिये एओए को संशोधित करना बाकी है। संस्था के अंतर्नियमों में 24 सीपीएसई में शेयरों के पुन: क्रय के लिये प्रावधान है, लेकिन एनएचपीसी लिमिटेड को छोड़कर, शेयरों का पुन: क्रय 23 सीपीएसई द्वारा नहीं किया गया था, जबकि चार सीपीएसईज़ अर्थात भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दि फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

4.5.3.3 ग्यारह सीपीएसईज़ थे जिनके पास मार्च 2015 को समाप्त पिछली 12 तिमाही में ₹ 1000 करोड़ से अधिक के औसत सीबीबी थे और बिना किसी या महत्वहीन दीर्घकालिक उधारियों के साथ पर्याप्त सीबीबी और आरक्षित निधि और अधिशेष स्थिति भी थी जैसा तालिका 4.7 में दर्शाया गया है। ये सीपीएसईज़ अपने स्वयं के शेयर के पुन: क्रय को ध्यान में रख सकती थी।

तालिका 4.7: सीपीएसईज़ जो बोनस शेयर जारी करने और/या शेयरों का पुन: क्रय पर विचार कर सकती थी

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	पिछली 12 तिमाही की औसत सीबीबी	मार्च 2015 तक		2014-15 के दौरान		
		आरक्षित निधि और अधिशेष	दीर्घकालिक उधारी	प्रदत्त लाभांश	नियोजित पूंजीगत व्यय	वास्तवि पूंजीगत व्यय
भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	4,956	7,805	0	234	625	218
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	7,691	33,595	61	284	493	395
कोल इंडिया लिमिटेड	60,729	34,037	202	13,075	5,225	5,173
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,851	7,440	0	261	1,146	1,037
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	1,900	2,399	0	168	176	173
मॉयल लिमिटेड	2,608	3,214	0	143	192	115
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	4,060	11,509	0	451	2,739	282
नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,310	1,204	0	66	No Plan	No Plan
एनएमडीसी लिमिटेड	20,775	31,935	0	3,390	7,825	3,136
ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,534	1,40,323	0	8,128	16,531*	2,770*
ऑयल इंडिया लिमिटेड	11,167	20,913	8,341	1,202	3,632	3,774

*मार्च 2015 को समाप्त तीन वर्षों का औसत।

4.5.3.4 36 सीपीएसईज़ में से, उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ हुए 23 सीपीएसईज़ के एमओयू में यह देखा गया कि अधिशेष नकद का उपयोग उस सीपीएसई के निष्पादन की निगरानी के लिये वित्तीय पैरामीटर के रूप में शामिल नहीं था। शेष सीपीएसई के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं था।

4.5.4 अधिशेष नकद के निवेश के लिये सीपीएसईज़ में निवेश नीति और प्रक्रिया

4.5.4.1 डीपीई का.ज्ञा. संख्या 4/3/92-वित्त दिनांक 27 जून 1994 और का.ज्ञा. संख्या 4/6/94-वित्त दिनांक 14 दिसम्बर 1994 में सुझाव दिया गया कि: निवेश नीति स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिये; निवेश केवल अधिकतम सुरक्षा वाले साधनों में करना चाहिये; अधिशेष उपलब्धता की सीपीएसईज़ द्वारा निधियों की उपलब्धता के बेहतर अनुमानों को तैयार करके योजना बनाई जा सकती है और प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित किया जा सकता है; सभी सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निधियों के निवेश के संबंध में निर्णय पारदर्शी होता है और प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंदर लिया जाता है; और ऐसे उचित प्राधिकारी की बोर्ड द्वारा निगरानी की जाती है। 36 सीपीएसईज में से 10, नामत: एमएमटीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, मॉयल लिमिटेड, दि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास फर्टीलाईजर्स लिमिटेड, दि फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड ने अधिशेष नकद के लिये अपनी निवेश नीति नहीं बनाई।

4.5.4.2 निवेश के लिये उप-समिति का गठन

दिनांक 14 दिसम्बर 1994 के का.ज्ञा. संख्या 4/6/94 के अनुसार, अधिशेष निधियों के निवेश पर निर्णय सीपीएसईज़ बोर्ड द्वारा लिया जाना चाहिये। तथापि, निवेशों पर निर्णय जिसमें एक वर्ष की मेच्यूरिटी तक और निवेश की निर्धारित सीमा तक अल्पकालिक निधियां शामिल हैं को निर्दिष्ट निदेशक समूह को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, जिसमें निरपवाद रूप से अन्य के अलावा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)/वित्त का अध्यक्ष शामिल होने चाहिये। जहां ऐसा प्रत्यायोजन किया गया है, वहां प्रत्यायोजन आदेश प्रत्येक अधिकारी की शक्तियां और अनुमोदन का स्तर बतायेगा, जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये। तथापि, राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टीलाइजर्स लिमिटेड और दि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में, शक्तियां मात्र से अध्यक्ष/निदेशक (वित्त) को संयुक्त रूप से निहित थीं और डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित कोई भी उप-समिति नहीं बनाई गई थी। शेष सीपीएसईज़ के संबंध में, निवेशों के लिये उप-समिति, चार सीपीएसई अर्थात बीईएमएल लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, महानगर टेलिफोन लिमिटेड और दि फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड को छोड़कर जहां डाटा उपलब्ध नहीं थे, बनाई गई थी।

4.5.4.3 निवेशों का संयोजन

निधियों के अधिशेष के संबंध में दिनांक 11 अप्रैल 2008 के डीपीई का. ज्ञा. संख्या डीपीई/11(47)/2006-वित्त बताता है कि मंत्रालय/विभाग/अन्य एजेंसियों/सत्त्वों आदि के नियंत्रण के अंतर्गत निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत की सीमा तक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पास बना रहे। 36 सीपीएसईज़ के निवेशों और नकदी का संयोजन ***परिशिष्ट-VIII*** और तालिका 4.8 में दिया गया है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को छोड़कर (2014-15 के दौरान) सभी सीपीएसईज ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में अपनी निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत निवेश किया था।

तालिका 4.8: 31 मार्च 2015 को 36 सीपीएसईज़ के निवेश और नकदी का संयोजन

(₹ करोड़ में)

संयोजन	नकद और स्टैंप	बैंक/ एफडी	सरकारी बांड आदि	इक्विटी और म्यूचुअल निधि	कॉर्पोरेट जमा	विविध	कुल
कुल	791	1,61,161	34,885	59,519	2,124	3,241	2,61,721
प्रतिशतता	0.30	61.58	13.33	22.74	0.81	1.24	100

4.5.4.4 निवेश और प्रत्यक्ष सत्यापन की सुरक्षा अभिरक्षा

निवेशों को सुरक्षा अभिरक्षा में रखा जाना चाहिये और धोखाधड़ी से बचने के लिये स्वामित्व के शीषर्क और प्रत्यक्ष स्थिति के लिये आवधिक रूप से सत्यापन किया जाना चाहिये। सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेजों में निम्न शामिल हैं (i) सावधि जमा/अल्प जमा रसीदें; (ii) निवेश आदि के इलैक्ट्रॉनिक होल्डिंग को दर्शाने वाले बैंकों के लेखा विवरण। 28 सीपीएसईज़ के मामले में स्वामित्व के शीर्षक के आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन और निवेशों की सुरक्षा अभिरक्षा के लिये व्यवस्था की गई थी। सावधि जमाओं का प्रत्यक्ष सत्यापन 2012-15 के दौरान नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में नहीं किया गया था। शेष सीपीएसई के मामले में पूर्ण डाटा उपलब्ध नहीं था।

4.6 बोर्ड द्वारा अभिशासन और मंत्रालय द्वारा निरीक्षण

निदेशक मण्डल कम्पनी के निष्पादन के समग्र पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी है और निवेश निर्णयों में कम्पनी को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।प्रशासनिक मंत्रालय, उनके साथ सीपीएसई द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम

से सीपीएसईज के निष्पादन की निगरानी करता है। सीपीएसईज़ बोर्ड द्वारा अभिशासन और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन की तुलना में मंत्रालय का निरीक्षण निम्नलिखित निष्कर्ष में देखा जा सकता है।

4.7 निष्कर्ष

- चार सीपीएसई ने कर के बाद पर्याप्त लाभ होने के बावजूद डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित अनुसार ₹ 1,718 करोड़ के न्यूनतम लाभांश का वितरण नहीं किया;

- तीन सीपीएसई ने बहुत अधिक मुक्त आरक्षित निधि होने के बावजूद, अपर्याप्त पीएटी के कारण, डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित ₹ 5,237 करोड़ के न्यूनतम लाभांश का वितरण नहीं किया;

- 27 सीपीएसईज़ के मामले में मुक्त आरक्षित निधि उनकी प्रदत्त पूंजी से तीन गुणा अधिक थी। तथापि, बोनस शेयर 24 सीपीएसईज के मामले में डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित जारी नहीं किये गये थे। तीन सीपीएसईज़ नामत: बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में, बोनस शेयर जारी करने के बाद भी उनकी आरक्षित निधि उनकी प्रदत्त पूँजी से तीन गुणा से अधिक रही थी। उन्होंने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोनस शेयर जारी करने पर विचार नहीं किया;

- आठ सीपीएसईज़ के मामले में, प्रबंधन को डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित शेयरों के पुन: क्रय करने के लिये मुहैया कराए गए संस्था के अंतर्नियम अभी संशोधित करने हैं;

- 23 सीपीएसई के एमओयू में निष्पादन की निगरानी के लिए वित्तीय पैरामीटर के रूप में अधिशेष नकद के उपयोग में शामिल नहीं था; और

- 10 सीपीएसईज़ नामत: एमएमटीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, मॉयल लिमिटेड, दि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड,

दि फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने डीपीई द्वारा यथा अपेक्षित अधिशेष नकद के निवेश हेतु अपनी निवेश नीति का निरूपण नहीं किया।

4.8 सिफारिश

बोर्ड के निरीक्षण और प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसईज़ द्वारा धारित अधिशेष नकद और डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध को सुदृढ़ किया जाए।

नई दिल्ली
दिनांक: 31 मार्च 2016

(प्रसेनजीत मुखर्जी)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
और अध्यक्ष, लेखापरीक्षक बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 1 अप्रैल 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक